

DCMS
2020/000029
12-01-2021

25

फर्द अहकाम

निर्णित

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
निबंलकोट

बनाम सुरताराम वण्ड उदाराम कौम
जाट आ.पनौली चतरवाली की टाणी

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 25/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-9-2020	<p>पटवारी हल्का निबंलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा पनौली चतरवाली के खसरा संख्या 220/2 रकबा 0.0500 किस्म भूमि आ.पनौली पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-09-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
16-9-2020	<p>पत्रावली आण पेश हुई। गैर सायल से मुपाब्ती गैर सायल को जवाब देते अवलर किया जाकर पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	

30-10-2020

पत्रावली माण पेश हुई। और सापल
अनुपास्थिते। और सापल के जवाब हेतु
अवलर डिमा जाकर पत्रावली दिनांक
22-10-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली माण पेश हुई। और सापल अनुपास्थिते।
और सापल के अतिक्रम मानते हुए
पत्रावली फेलत सुमार हे निर्धार अलग ले
लिखा जाकर शामिल पत्रावली हे। निर्धार
सुके अणामाला के सुनाया अण। पत्रावली
फेलत सुमार हेकर हे डारिखे फलर हे।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर